न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 100/2022
GCMS NO. : 202/188

–: वादी :–
1. नेमाराम पुत्र पोकरराम जाति– जाट, निवासी– फालका, तहसील– जैतारण, जिला पाली (राज.)।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–
1. गोदाराम पुत्र पोकरराम
2. जसाराम पुत्र पोकरराम
3. बाबूलाल पुत्र पोकरराम
सभी जातियान– जाट, निवासीगण– फालका, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।
4. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील– जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 07/06/2022

उपस्थितः–
1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री जसाराम, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 03/01/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1323 रकबा ... हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/4 वां हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। इसी हिस्से में वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वादपत्र में वर्णित आराजी वादी संयुक्त शामलाती आराजी है जिसका वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (

प्रतिवादीगण के बीच मौके पर आपसी सहमति से आज से करीबन 35-40 वर्ष पहले इनके पिता के जीवनकाल में बंटवाड़ा हो रखा है और उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर हुये बंटवाड़े के अनुसार राजस्व रेकर्ड में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हुआ। इस कारण से वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच शामलाती इन्द्राज है। परन्तु मौके पर सभी भाईयो में अलग-अलग बंटी हुई है और सभी पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार सभी पक्षकारान अपने हक-हिस्से की आराजी मे काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहे है जिसमे वादपत्र प्रस्तुत नजरी नक्शे मे वादी का हिस्सा पीले रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा हरें रंग से दर्शित है, इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 2 जसाराम का हिस्सा लाल रंग से दर्शित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 बाबूलाल का हिस्सा नीले रंग से दर्शाया गया है और इसी नजरी नक्शे के अनुसार सभी पक्षकारान् पिछले 35-40 साल से अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर जो बंटवाड़ा हो रखा है। जिसमे पक्षकारान ने अपने हक-हिस्से की भूमि मे मांठ कायम करके तारबन्दी कर रखी है और उस पर आने जाने के लिये रास्ते भी छोडे हुए है और इसी अनुरूप वादी अपने हक हिस्से मे नजरी नक्शे मे बताये गये भू-भाग पर काबिज है। वादी को अपने हक-हिस्से की भूमि मे ट्यूबवैल खुदवाने, कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिये संपरिवर्तन करवाने, बिजली कनेक्शन लेने, सरकारी योजना के अनुसार पोण्ड का निर्माण करने एवं सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजना का फायदा लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी मौके पर नजरी नक्शे अनुसार अलग से बंटी हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे शामलाती दर्ज होने से प्रतिवादीगण आये दिन मौके पर मांठ को लेकर विवाद करते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 जसाराम ने दिनांक 31/05/2022 वादी के हक हिस्से की भूमि के चारो तरफ लगी तारबन्दी को तोड़ दिया एवं मांठ को बिखेरकर रोपी हुई पट्टीयों को भी तोड दिया एवं वादी को यह ऐलानिया धमकी दी कि वह 35-40 साल पूर्व किये गये बंटवाडे को नही मानेगा एवं वादी को मौके [illegible] सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेगे और वादी को हमेशा के लिये [illegible] इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बंटवाडे के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनके विरूद्ध अलग से कोई अनुतोष नहीं चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

गया है। बिनाय वाद दिनांक 31/05/2022 को प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा वादी के हिस्से मे आये भू-भाग के चारो तरफ लगायी गयी तारबन्दी तोडने पर वादी द्वारा सभी प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पत्ति का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के कानूनन बंटवाड़ा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादी को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम फालका तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्न तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। समस्त प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि राजीनामा अनुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार पक्षकारान् के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा कर वाद डिक्री फरमावें। अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पक्षकारान् ने सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील- जैतारण खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1328 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजिनामा एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील- जैतारण खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1328 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें पक्षकारान के हक-हिस्सों का माफिक राजिनामा एवं राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/981 दिनांक 20.09.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/5007 दिनांक 18.09.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का माफिक राजिनामा एवं प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंट्वाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू–अभिलेख के खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1328 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का माफिक राजिनामा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश::–

अतः माफिक राजिनामा एवं बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आ0कालू, तहसील– जैतारण खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1328 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयमभूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जसाराम पुत्र पोकर राम जाति जाट [illegible] देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		520	1.0117	बा.अ.	0.63
		827	0.4672	से.दो.	0.44
		87	0.6867	बा.दो.	0.21
2.	गोदाराम पुत्र पोकर राम जाति जाट सा0	182	0.6622	बा.अ.	0.41

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

	देह खातेदार	500	0.5706	बा.अ.	0.35
		827	0.3687	से.दो.	0.35
		87	0.1700	बा.दो.	0.05
		375	0.5382	बा.दो.	0.16
		(A) 85/1328	0.2428	बा.अ.	0.15
		(B) 85/1328	0.2753	बा.अ.	0.17
3	नेमाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		827	0.3804	से.दो.	0.35
		87	0.6867	बा.दो.	0.21
4	बाबुलाल पुत्र पोकर राम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		375	0.5383	बा.दो.	0.17
		500	0.5706	बा.अ.	0.36
		827	0.3701	से.दो.	0.35
		87	0.6867	बा.दो.	0.22
5	गोदाराम 1/4 जसाराम 1/4 नेमाराम 1/4 बाबुलाल 1/4 पि0 पोकरराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.0626	रास्ता	0.04
		87	0.0361	रास्ता	0.01
		85/1328	0.0080	रास्ता	0.01

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 03/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :- जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. नेमाराम पुत्र पोकरराम जाति- जाट, निवासी- फालका, तहसील- जैतारण, जिला पाली (राज.)।

1. गोदाराम पुत्र पोकरराम
2. जसाराम पुत्र पोकरराम
3. बाबूलाल पुत्र पोकरराम सभी जातियान- जाट, निवासीगण- फालका, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।
4. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील- जैतारण जिला पाली (राज)।

मु0न0 :रा0वा0स0: 100/2022

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-. .... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्धई एंव श्री जस्साराम, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील- जैतारण खसरा नम्बर 182 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 375 रकबा 1.0765 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 500 रकबा 1.1412 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 520 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 827 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 82/1328 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयमभूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जसाराम पुत्र पोकर राम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		520	1.0117	बा.अ.	0.63
		827	0.4672	से.दो.	0.44
		87	0.6867	बा.दो.	0.21
2.	गोदाराम पुत्र पोकर राम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		500	0.5706	बा.अ.	0.35
		827	0.3687	से.दो.	0.35
		87	0.1700	बा.दो.	0.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण(.

		375	0.5382	बा.दो.	0.16
		(A) 85/1328	0.2428	बा.अ.	0.15
		(B) 85/1328	0.2753	बा.अ.	0.17
3	नेमाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		827	0.3804	से.दो.	0.35
		87	0.6867	बा.दो.	0.21
4	बाबुलाल पुत्र पोकर राम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.6622	बा.अ.	0.41
		375	0.5383	बा.दो.	0.17
		500	0.5706	बा.अ.	0.36
		827	0.3701	से.दो.	0.35
		87	0.6867	बा.दो.	0.22
5	गोदाराम 1/4 जसाराम 1/4 नेमाराम 1/4 बाबुलाल 1/4 पि0 पोकरराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	182	0.0626	रास्ता	0.04
		87	0.0361	रास्ता	0.01
		85/1328	0.0080	रास्ता	0.01

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फ	0.00
मिजानः–	7.00	मिजानः–	4.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा चाहे हो कितना चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:32 IST
Reason: SelfAttested